राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4762/2019

वीरेन्द्र सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
2. पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय), राजस्थान पुलिस जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला कोटा ग्रामीण, कोटा।
4. पुलिस अधिक्षक, धौलपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक :
आदेश की दिनांक : 31.01.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.एम महर्षि, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्रपाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को दिनांक 29.10.2001 को कोटा (ग्रामीण) जिले में कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया गया था। अपीलार्थी को स्वयं के अनुरोध पर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 29.06.2013 (अनुलग्नक–1) द्वारा कोटा (ग्रामीण) जिले से धौलपुर जिले में स्थानान्तरित किया गया। अपीलार्थी दिनांक 01.04. 2013 को कोटा ग्रामीण में पदस्थापित होने के कारण वर्ष 2013–14 की कानि0 से हैड कानि० की पदोन्नति परीक्षा में सम्मिलित हुआ लेकिन वरिष्ठता में नही आने के कारण पदोन्नति प्रदान नही की गई है। पुलिस अधीक्षक, कोटा ग्रामीण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में हैड कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक के पद के वर्ष 2013–14 की चयन सूची का रिव्यू करने पर हैड कांस्टेबल के रिक्त हुए पदों को शामिल कर वर्ष 2013–14 के हैड कांस्टेबल के पूर्व की चयन सूची में संशोधन किया जाकर अपीलार्थी को वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध हैड कांस्टेबल के पद पर आदेश दिनांक 05.09.2019 (अनुलग्नक–2) द्वारा पदोन्नति प्रदान की गई और उसके पश्चात हैड कांस्टेबल के पद पर पीसीसी प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया गया (अनुलग्नक–3)। जिला अधीक्षक, धौलपुर द्वारा दिनांक 01.04.2016 की स्थिति में हैड कांस्टेबल के पद की वरिष्ठता सूची दिनांक 20.11.2019 को जारी की गई (अनुलग्नक–4), जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 125 पर अंकित है। पुलिस अधीक्षक, धौलपुर द्वारा पत्र दिनांक 05.12.2019 (अनुलग्नक–5) द्वारा वर्ष 2016–17 की

हैड कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति परीक्षा हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की गई, जिसमें अपीलार्थी को पदोन्नति परीक्षा रिक्ति वर्ष 2016–17 हेतु अपात्र घोषित किया गया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 28.11.2019 (अनुलग्नक–6) द्वारा पदोन्नति प्रयोजनार्थ पैतृक जिला कोटा ग्रामीण में स्थानान्तरण कर कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के संबंध में महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज भरतपुर को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया (अनुलग्नक–7)। पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण द्वारा आदेश दिनांक 02.12.2019 (अनुलग्नक–8) द्वारा एक वर्ष के लिए अपीलार्थी को हैड कांस्टेबल के पद पर परिवीक्षा अवधि पर रखा गया और पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण द्वारा हैड कांस्टेबल की वरिष्ठता सूची में भी शामिल किया गया है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.11.2019 को अपास्त किया जावे तथा पुलिस अधीक्षक, धौलपुर द्वारा हैड कांस्टेबल के संबंध में दिनांक 01.04.2016 के संदर्भ में जारी वरिष्ठता सूची दिनांक 20.11.2019 को सही ठहराने, अपीलार्थी को वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध हैड कांस्टेबल के पद से सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति परीक्षा में शामिल करने हेतु पात्र घोषित किए जाने तथा कोटा ग्रामीण की वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2017 में हैड कांस्टेबल की वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम हटाए जाने और समस्त पारिणामिक लाभ दिए जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति जिला कोटा ग्रामीण में दिनांक 29.10.2001 को हुई। अपीलार्थी कानि० दिनांक 01.04.2013 को कोटा ग्रामीण में पदस्थापन होने के कारण वर्ष 2013–14 की कानि0 से हैड कानि० की पदोन्नति परीक्षा में सम्मिलित हुआ लेकिन वरिष्ठता में नही आने के कारण पदोन्नति प्रदान नही की गई है। महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 28,09.2016 के क्रम में पुनः रिक्तियों का निर्धारण के निर्देश प्राप्त होने पर जिला कोटा ग्रामीण में रिक्तिया निर्धारण की गई जिसमें कुल 52 रिक्तिया निकली जिसमें सामान्य की 41, एस0सी0–7 एवं एस०टी० की 04 थी। जिला कोटा ग्रामीण की वर्ष 2013–14 की हैड कानि० की रिव्यू बोर्ड के द्वारा रिव्यू प्रक्रिया आयोजित होने पर अपीलार्थी को वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध हैड कानि० के पद पर पदोन्नति हेतु चयन किया गया है। अपीलार्थी ने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल अजमेर में दिनांक 24.06.2019 से 08.11.2019 तक पीसीसी की जिसमें वह उत्तीण हुआ। जिला धौलपुर की दिनांक 01.04.2016 के संदर्भ में वरिष्ठता सूची तैयार की गई। दिनांक 01.04.2016 को इस जिले में पदस्थापित होने के कारण इस कार्यालय के पत्र दिनांक 20.11.2019 के द्वारा जो सिनीयरटी लिस्ट जारी की गई उसमें अपीलार्थी

का नाम क्रमांक 125 पर अंकित किया गया। पुलिस अधीक्षक धौलपुर के पत्र दिनांक 21.11.2019 के द्वारा हैड कानि० से सहायक उप निरीक्षक की पदोन्नति परीक्षा वर्ष 2016–17 के आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये एवं वितन्तु सन्देश दिनांक 05.12.2020 के द्वारा पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई जिसमें अपीलार्थी अपात्र अभ्यर्थी माना गया क्योंकि अपीलार्थी का नाम जिले की वर्ष 01.04.2016 की कांस्टेबल की वरिष्ठता सूची में नाम अंकित था एवं जिला कोटा ग्रामीण में वर्ष 2013–14 की रिक्ति के विरूद्ध हैड कानि० के पद पर चयन हो जाने के कारण अपात्र किया गया। अपीलार्थी को महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय के आदेश दिनांक 04.07.2019 द्वारा हैड कानि० के पदोन्नति प्रयोजनार्थ धौलपुर जिले से पैतृक जिले कोटा ग्रामीण में किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 28.11.2019 को दोपहर बाद कार्यमुक्त किया गया। अपीलार्थी ने दिनांक 06.12.2019 को एक अभ्यावेदन महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज भरतपुर के नाम प्रस्तुत किया जिस पर कार्यालय के पत्र दिनांक 06.12.2019 के द्वारा अपीलार्थी को सहायक उप निरीक्षक की पदोन्नति परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर से मार्ग दर्शन चाहा गया तो पुलिस मुख्यालय ने अपने पत्र दिनांक 06.12.2019 के द्वारा अवगत कराया गया कि कार्मिक वर्ष 2013–14 के विरूद्ध जिला कोटा ग्रामीण से हैड कानि० के पद पर रिव्यू में चयन किया जाकर हैड कानि० के पर पदोन्नति प्रदान की जा चुकी है उक्त अपीलार्थी दिनांक 01.04.2016 की वरिष्ठता सूची में नाम अंकित होने के कारण वर्ष 2016–17 की हैड कानि० से सहायक उप निरीक्षक की पद की योग्यता परीक्षा में सम्मिलित नही किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये इस कारण अपीलार्थी को हैड कानि० से सहायक उप निरीक्षक की पदोन्नति परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया गया है। अपीलार्थी को पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण के आदेश दिनांक 02.12.2019 के द्वारा वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध हैड कानि० के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त किए जाने योग्य है ।

हमने अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अनुशीलन कर मनन किया गया

प्रस्तुत अपील में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 20.11.2019 के द्वारा अपीलार्थी को हैड कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु अपात्र माना गया है, को अपास्त किए जाने का अनुतोष चाहा गया है तथा पुलिस अधीक्षक, धौलपुर द्वारा हैड कांस्टेबल के संबंध में दिनांक 01.04.2016 की संदर्भ तिथि बाबत जारी वरिष्ठता सूची दिनांक 20.11.2019 को सही ठहराने, अपीलार्थी को वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध हैड कांस्टेबल के पद से सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति परीक्षा में शामिल करने हेतु पात्र घोषित किए जाने तथा कोटा

ग्रामीण की वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2017 में हैड कांस्टेबल की वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम हटाए जाने पर वर्ष 2013–14 से उसके पदस्थापन जिले के अनुरूप वरिष्ठता सूची में शामिल करने और समस्त पारिणामिक लाभ दिए जाने का अनुतोष चाहा गया है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 29.06.2013 (अनुलग्नक–1) द्वारा कोटा ग्रामीण से धौलपुर जिले में स्थानान्तरण किया गया। उस समय अपीलार्थी कांस्टेबल था। पुलिस अधीक्षक, कोटा ग्रामीण द्वारा कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल के पद पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों एवं पुलिस मुख्यालय के निर्देशों की अनुपालना में सहायक उप निरीक्षक के पद के वर्ष 2013–14 की चयन सूची का रिव्यू करने पर रिक्त हुए पदों को शामिल कर वर्ष 2013–14 के हैड कांस्टेबल के पूर्व की चयन सूची में रिव्यू बोर्ड द्वारा संशोधन किया जाकर अपीलार्थी को वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध हैड कांस्टेबल के पद पर आदेश दिनांक 05.09.2019 (अनुलग्नक–2) द्वारा पदोन्नति प्रदान की गई और उसके पश्चात हैड कांस्टेबल के पद पर पीसीसी प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया गया (अनुलग्नक–3)। जिला अधीक्षक, धौलपुर द्वारा दिनांक 01.04.2016 की स्थिति में हैड कांस्टेबल के पद की संशोधित वरिष्ठता सूची दिनांक 20.11.2019 को जारी की गई (अनुलग्नक–4), जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 125 पर अंकित है। पुलिस अधीक्षक, धौलपुर द्वारा पत्र दिनांक 05.12.2019 द्वारा वर्ष 2016–17 की हैड कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति परीक्षा हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की गई। इसमें अपीलार्थी को पदोन्नति परीक्षा रिक्ति वर्ष 2016–17 हेतु अपात्र घोषित किया गया। अपीलार्थी के संबंध में निम्न अंकित हैः–

''जिला धौलपुर में दिनांक 01.04.2016 को कांस्टेबल के पद पर होने एवं जिला कोटा ग्रामीण में वर्ष 2013–14 के विरूद्ध हैड कांस्टेबल के पद पर चयनित होने पर अपात्र''

साथ ही अपीलार्थी को आदेश दिनांक 28.11.2019 द्वारा पदोन्नति प्रयोजनार्थ पैतृक जिला कोटा ग्रामीण में स्थानान्तरण कर कार्यमुक्त कर दिया गया (अनुलग्नक–6)। अपीलार्थी द्वारा सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के संबंध में महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज भरतपुर को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया (अनुलग्नक–7)। पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण द्वारा आदेश दिनांक 02.12.2019 द्वारा एक वर्ष के लिए अपीलार्थी को हैड कांस्टेबल के पद पर परिवीक्षा अवधि पर रखा गया और पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण द्वारा हैड कांस्टेबल की वरिष्ठता सूची में भी शामिल किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग ने अपने जवाब में यह स्वीकार किया गया है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.06.2013 द्वारा कोटा ग्रामीण से धौलपुर जिले में किया गया है और पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2013–14 की हैड कांस्टेबल की पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल किया गया है परन्तु

वरिष्ठता में नहीं आने के कारण पदोन्नति प्रदान नहीं की गई लेकिन बाद में वर्ष 2013–14 की हैड कांस्टेबल की रिक्तियों हेतु रिव्यू प्रक्रिया आयोजित होने तक वर्ष 2013–14 के विरूद्ध हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया गया और अजमेर में ट्रेनिंग स्कूल में भाग लेकर उत्तीर्ण किया। यह भी स्वीकार किया गया कि जिला धौलपुर में दिनांक 01.04.2016 की संदर्भ तिथि में हैड कांस्टेबल की जारी वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम क्रमांक 125 पर है। हैड कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक की वर्ष 2016–17 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए लेकिन अपीलार्थी का नाम दिनांक 01.04.2016 को जारी वरिष्ठता सूची में अंकित होने और कोटा ग्रामीण की वर्ष 2013–14 की रिक्ति के विरूद्ध हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति होने के कारण अपात्र घोषित किया गया। अपीलार्थी के संबंध में पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर रेंज भरतपुर द्वारा पुलिस मुख्यालय से नाम मार्गदर्शन चाहा गया। मुख्यालय से निर्देश प्राप्त हुआ कि अपीलार्थी को वर्ष 2013–14 में कोटा ग्रामीण द्वारा हैड कांस्टेबल के पद पर रिव्यू में चयन कर पदोन्नति प्रदान की जा चुकी है। अतः वर्ष 2016–17 की हैड कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक की पदोन्नति परीक्षा में शामिल नहीं करने के मुख्यालय से निर्देश प्राप्त होने के कारण अपीलार्थी को सहायक उप निरीक्षक की पदोन्नति परीक्षा में शामिल नहीं किया गया।

प्रकरण के संबंध में उपलब्ध दस्तावेज और उभय पक्ष के अभिकथनों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को कोटा ग्रामीण में वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध रिव्यू बोर्ड द्वारा रिव्यू कर दिनांक 01.04.2013 से हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई और अपीलार्थी द्वारा हैड कांस्टेबल की पीसीसी भी उत्तीर्ण की जा चुकी है। अपीलार्थी को मात्र इस आधार पर सहायक उप निरीक्षक की पदोन्नति परीक्षा में शामिल होने से अपात्र माना जाना कि उसे वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति दी जा चुकी है और दिनांक 01.04.2016 को उसका नाम कांस्टेबल की वरिष्ठता सूची में शामिल है, जो न्यायोचित नहीं है क्योंकि जब अपीलार्थी की पदोन्नति हैड कांस्टेबल के पद पर वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध हो गई तो प्रत्यर्थी विभाग का दायित्व है कि उसकी पदोन्नति के अनुरूप संबंधित पद की वरिष्ठता सूची में समुचित स्थान पर अपीलार्थी का नाम शामिल किया जावे। प्रत्यर्थी विभाग पुलिस अधीक्षक धौलपुर द्वारा दिनांक 01.04.2016 की स्थिति में जारी हैड कांस्टेबल की वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम शामिल किया हुआ है, जो क्रम संख्या 125 पर अंकित है। रिकॉर्ड पर दिनांक 01.04.2016 के संदर्भ में जिले के कांस्टेबल की कोई वरिष्ठता सूची प्रस्तुत नहीं हुई है। जिसमें कि अपीलार्थी का नाम अंकित हो। फिर यह संभव भी नहीं है, क्योंकि दिनांक 01.04.2016 के संदर्भ में जारी हैड कांस्टेबल की वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम अंकित हो तो फिर उसी तिथि

को कांस्टेबल की वरिष्ठता सूची में नाम कैसे शामिल हो सकता है। चुंकि हैड कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक के पद पर नियमानुसार तीन वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है, जो अपीलार्थी के संदर्भ में दिनांक 01.04.2016 को पूरा होता है। लिहाजा निर्धारित अनुभव धारित करता है। उपलब्ध रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी से कनिष्ठ जिन कार्मिकों को सहायक उप निरीक्षक पदोन्नति परीक्षा हेतु कार्मिकों को पात्र माना गया है, उनमें सामान्य श्रेणी का कोई अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है। अपीला र्थी सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी है परन्तु जिस आधार पर अपात्र घोषित किया गया है वह विधिक रूप से सहीं नहीं है क्योंकि अपीलार्थी वर्ष 2013–14 में हैड कांस्टेबल पदोन्नत हो गया एवं दिनांक 01.04.2016 की हैड कांस्टेबल की वरिष्ठता सूची में नाम शामिल किया हुआ है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किए जाने हेतु उसकी पात्रता का निर्धारण किया जाना था, जबकि उसको जिन आधारों पर अपात्र घोषित किया गया है। वह आधार उचित एवं सही नहीं है।

लिहाजा अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी के संबंध में जारी आदेश दिनांक 05.12.2019 में सहायक उप निरीक्षक के पद पर रिक्ति वर्ष 2016–17 की पदोन्नति परीक्षा में शामिल होने में उसकी अपात्रता के संबंध में अंकित आधार न्यायोचित नहीं होने के आधार पर अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण द्वारा दिनांक 01.04.2017 के संदर्भ में जारी हैड कांस्टेबल की वरिष्ठता सूची दिनांक 20.12.2019 में अपीलार्थी को क्रम संख्या 100 पर दर्शित किया है जबकि तत्समय अपीलार्थी धौलपुर जिले में पदस्थापित होने से अपीलार्थी का नाम पदस्थापन जिले की वरिष्ठता सूची में होना चाहिए था। अतः कोटा ग्रामीण की दिनांक 01.04.2017 के संदर्भ में जारी हैड कांस्टेबल की वरिष्ठता सूची दिनांक 20.12.2019 से अपीलार्थी का नाम हटाया जाता है। अपीलार्थी वर्ष 2016–17 में जिला धौलपुर में पदस्थापित है एवं हैड कांस्टेबल की वरिष्ठता सूची संदर्भ दिनांक 01.04.2016 में उसका नाम है। अतः प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि जिला धौलपुर में यदि वर्ष 2016–17 की सहायक उप निरीक्षक के रिक्त पदों के विरूद्ध अपीलार्थी विचारण सीमा में आता है एवं उससे कनिष्ठ सामान्य वर्ग के कार्मिकों को इन रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई है तो अपीलार्थी के संबंध में पदोन्नति प्रक्रिया आयोजित की जाकर उसके पात्र पाये जाने पर सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु कार्यवाही की जावे।

आदेश आज दिनांक..................को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य